

प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 11.01.2023

लोकसेवक का रूप धारण कर(एस.डी.एम.) जनता से ठगी करने वाला अपने दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर के निकट कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट गोरखपुर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी टीपीनगर उ0नि0 श्री कुँवर गौरव सिंह मय हमराह के द्वारा खुद को एस.डी.एम. एवं स्वयं को उनके सहयोगी बताने वाले अभियुक्तगण 1- मुहम्मद अशफाक पुत्र मुहम्मद जस्मीम निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर 2- मुहम्मद इकबाल पुत्र मुहम्मद जस्मीम निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर 3- मुहम्मद आफताब पुत्र मुहम्मद जस्मीम निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर द्वारा दुकानदारो से अपने आप को एस.डी.एम. बताकर जनता से रौब गाँठकर ठगी कर रहे थे जिन्हे गिरफ्तार कर थाना राजघाट पर मु0अ0सं0 006/2023 धारा 170,419,420 भादसं0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- मुहम्मद अशफाक पुत्र मुहम्मद जस्मीम निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर
- 2- मुहम्मद इकबाल पुत्र मुहम्मद जस्मीम निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर
- 3- मुहम्मद आफताब पुत्र मुहम्मद जस्मीम निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 006/2023 धारा 170,419,420 भादवि थाना राजघाट गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- का0 अंकित बिन्द थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3- का0 पवन यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।